ग्राम पंचायत कलोहा, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना (क) :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कलोहा, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति रजनी देवी	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्री बलजीत सिंह	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री रमेश कुमार	1-4-2013 से 16-7-2013
2	श्रीमति सोनिया रानी	17-7-2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कलोहा के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	8	टॉवर शुल्क की वसूली न करना	0.27
2	9	अनुदान का उपयोग न करना	10.53
3	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.08
4	12	Assessmenकार्य मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	10.21
5	14	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	1.08

2. <u>वर्तमान अंकेक्षण</u>:-

ग्राम पंचायत कलोहा , विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27/9/2016 से 30/9/2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

<u>वित्तीय वर्ष</u>	**<u>आय</u>**	**<u>व्यय</u>**
2013-14	3/2014	2/2014
2014-15	1/2015	3/2015
2015-16	2/2016	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 <u>अंकेक्षण शुल्क</u> :-

ग्राम पंचायत कलोहा, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क 7200/- रुपये बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि oप्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 236/2016 दिनांक 30-9-2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कालोहा से अनुरोध किया गया|

4 <u>वितीय स्थिति</u>:-

ग्राम पंचायत कलोहा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **<u>स्व स्त्रौत :-</u>** ग्राम पंचायत कलोहा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	242805	76302	319107	43752	275355
2014-15	275355	113843	389198	68636	320562
2015-16	320562	97425	417987	29361	388626

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत कलोहा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	558520	2155610	2714130	2324193	389937
2014-15	389937	2546110	2936047	1660967	1275080
2015-16	1275080	1929090	3204170	2151310	1052860

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कलोहा द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹452.52 का अंतर था| अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष 388626

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1052860

योग 1441486

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102552473	610
2	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102552491	36262

3	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102552455	1
4	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102552464	20039
5	पी.एन. बी. कलोहा	1396000100008297	113195
6	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102552507	460
7	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102552525	40417
8	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102531665	0
9	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102546083	49922
10	पी.एन. बी. कलोहा	1396000102562328	53040
11	के.सी.सी.बी. रक्कर	20044011592	1125704.48
		Total	**1439650.48**
		Cash in hand	
		GENERAL CASH BOOK	1326
		MNREGA	0
		IWMP	57
		TOTAL	**1441033.48**

अंतर 1441486-1441033.48 =₹452.52

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव कलोहा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की 13820 रुपये वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2013-14	5210	23465	28675	0	28675
2014-15	28675	23465	52140	0	52140
2015-16	52140	27940	80080	66260	13820

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियामानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

8 <u>टॉवर शुल्क ₹0.27 लाख की वसूली न करना</u>

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: पी सी एच -एच (2) 8 /99 दिनांक 9-11-2006 के द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए ₹4000 प्रति टॉवर की दर से शुल्क तथा ₹2000 प्रति टॉवर नवीनीकरण शुल्क तथा प्रत्येक 5 बर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की गयी है| सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित टॉवर स्थापना शुल्क तो वसूल लिया गया परन्तु उनसे निम्नानुसार कोई भी नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया गया जिसकी वसूली की जाए|

कम्पनी का नाम	**स्थापना वर्ष/दिनांक**	**नवीनी करण शुल्क**	**5 बर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क(25 प्रतिशत वृद्धि)**	**अवधि (बर्ष)**	**राशि**	**टिप्पणी**
ऐयरसेल	2014	---		1	-	
	2015-16	2000		1	2000	
बी एस एन एल	2013	-		1	-	
	2014-15से 2015-16	2000		2	4000	
रिलायंस	2006	-	-	1	-	
	2007-08 से	2000		4	8000	

	2010-11						
	2011-12 से 2015-16		2500	5	12500		
				योग	**26500**		

9 अनुदान ₹10.53 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट- 1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1052860 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.08 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत कलोहा द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार ZP में दिनांक 31-03-2016 को ₹8258 ऋणात्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन ZP में अथवा किसी अन्य योजना से ZP का भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के स्वीकृति आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियां अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारि यों के ध्यान में लाया

जाता है|

12 <u>Assessmentकार्य मूल्यांकन के बिना ₹10.21 लाख का भुगतान करना :-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस 17/2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट (2) पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹1020645 का भुगतान assessmentके बिना किया गया| अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessmentके बिना कार्य मूल्यांकन के भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

13 <u>मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार **"ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,प त्थर ,सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के सन्धर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार " परन्तु ग्राम** पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण परिशिष्ट (3) पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है| अत: इस बारे में नियमानुसार अवगत करें|

14 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी ₹1.08 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (4)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹107897 के स्टॉक स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है| अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए|

15 <u>मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>

पंचायत चन्नौर द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

<u>क्रम</u>	<u>रजिस्टर/अभिलेख</u>	<u>फॉर्म संख्या</u>	<u>संदर्भित नियम</u>
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

17 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 <u>लघु आपति विवरणिका :-</u> इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का

अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 **निष्कर्ष :-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है |

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच) 15 (ii) 56/2016–खण्ड–1–737–740 दिनाँकः 07.02. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कलोहा, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.